संख्या:10/2022/1588797/12-2099/3/2022

प्रेषक,

शत्रुन्जय कुमार सिंह,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कृषि निदेशक,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कृषि अनुभाग-2 लखनऊ: दिनॉक 11 फरवरी, 2022

विषय: नेशनल मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एण्ड टैक्नोलॉजी (NMAET) के अन्तर्गत 'सब मिशन ऑन एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन' योजनान्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 हेतु अनुदान संख्या-11 के लेखाशीर्ष 2401-फसल कृषि कर्म-109-विस्तार तथा किसानों को प्रशिक्षण-01-केन्द्र प्रायोजित योजनाएं-104-नेशनल मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एण्ड टेक्नोलॉजी के अन्तर्गत सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन हेतु पुनर्विनियोग के माध्यम से केन्द्रांश की वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया प्रश्नगत विषय के संदर्भ में कार्यालय आदेश संख्या-05/2022/1588797/12-2099/3/2022, दिनॉक 25 जनवरी, 2022 के क्रम में अपने पत्र संख्या: अभि./2103/ एस.एम.ए.एम-लेखा/2021-22, दिनॉक 28 जनवरी, 2022 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. प्रश्नगत सन्दर्भ में सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन के मानक मद-27-सब्सिडी में रू. 3387.20 लाख एवं 42-अन्य व्यय में रू. 0.48 लाख कुल धनराशि रू. 3387.68 लाख की पुनर्विनियोग के माध्यम से स्वीकृत धनराशि का आहरण राज्य स्तर पर केनरा बैंक में संचालित S.N.A. के बैंक खाता संख्या: 110009531556 में अन्तरित किए जाने पर, वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या: 6/2021/बी-1-499/दस-2021, दिनॉक 24 जून, 2021 (प्रति संलग्न) के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया अपने स्तर से धनराशि कोषागार से एकमुश्त आहरित कर S.N.A. के खाते के माध्यम से धनराशि का अन्तरण जनपद स्तर पर इम्पलीमेन्टिंग एजेन्सी को किए जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

3. स्वीकृत धनराशि का आहरण एवं व्यय अनुदान संख्या-011 के लेखाशीर्ष 2401-फसल कृषि कर्म-109-विस्तार तथा किसानों को प्रशिक्षण-01-केन्द्र प्रायोजित योजनाएँ-0104-नेशनल मिशन ऑन एग्रीकल्चर एण्ड एक्सटेंशन एण्ड टेक्नोलोजी के अन्तर्गत सब-मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन (के.60/रा..40-के.)-27-सब्सिडी, तथा, लेखाशीर्ष 2401-फसल कृषि कर्म-109-विस्तार तथा किसानों को प्रशिक्षण-01-केन्द्र प्रायोजित योजनाएँ-0104-नेशनल मिशन ऑन एग्रीकल्चर एण्ड एक्सटेंशन एण्ड टेक्नोलोजी के अन्तर्गत सब-मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन (के.60/रा.40-के.)-42-अन्य व्यय के नामें डाला जाएगा।

http://shasanadesh.up.gov.in

3. तद्नुसार उक्त सीमा तक कार्यालय-आदेश संख्या: 05/2022/1588797/12-2099/3/2022, दिनॉक 25 जनरी, 2022 संशोधित समझा जाए, कार्यालय-आदेश की शेष शर्ते यथावत रहेंगी।

संलग्नक: यथोपरि।

भवदीय,

(शत्रुन्जय कुमार सिंह)
विशेष सचिव।

संख्या:10/2022/1588797(1)/12-2099/3/2022 तद्दिनॉक।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज,
2. प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा)-प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज,
3. संयुक्त सचिव, भारत सरकार, कृषि मंत्रालय, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, नई दिल्ली,
4. वित्त नियंत्रक, कृषि विभाग, लखनऊ,
5. संयुक्त कृषि निदेशक (अभियंत्रण), उत्तर प्रदेश, लखनऊ,
6. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ,
7. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-1/वित्त (आय-व्ययक)-1/2/कृषि अनुभाग-3/नियोजन अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन,
8. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(शत्रुन्जय कुमार सिंह)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in